न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्षः एम0के0 सिंह
सदस्य

प्रकरण कमांक निगरानी 316–तीन/10 विरूद्ध आदेश दिनांक 26–6–09 पारित द्वारा अपर आयुक्त, ग्वालियर संभाग, ग्वालियर प्रकरण कमांक 442/2007–08/अपील.

———

1– श्रीमती जमुना देवी पत्नी बलराम सिंह
निवासी ग्राम विनायक खेड़ी
तह. व जिला गुना म.प्र. ——— आवेदकगण

विरूद्ध

1– सीताराम ताटके पुत्र विश्वनाथ ताटके
2– सुभाष ताटके पुत्र राजाराम ताटके
निवासीगण ताटके का बाड़ा
सदर बाजार गुना ——— अनावेदकगण

———

श्री एस. पी. धाकड़, अधिवक्ता, आवेदकगण ।
श्री एस. के. वाजपेई, अधिवक्ता, अनावेदकगण ।

———

:: आदेश ::

(आज दिनांक 10–07–2014 को पारित)

———

यह निगरानी अपर आयुक्त, ग्वालियर संभाग, ग्वालियर के प्रकरण कमांक 442/2007–08/अपील में पारित आदेश दिनांक 26–6–09 के विरूद्ध म.प्र. भू–राजस्व संहिता, 1959 (जिसे आगे संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के तहत पेश की गई है ।

2– प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि आवेदक बलराम द्वारा तहसील न्यायालय के समक्ष संहिता की धारा 250 के तहत एक आवेदन प्रस्तुत कर भूमि सर्वे नं. 38 रकबा 0.679 एवं सर्वे नं. 40/4 रकबा 1.069 हैक्टर पर से अनावेदकों का कब्जा हटाया जाकर आधिपत्य दिलाए जाने की मांग की गई । तहसील न्यायालय ने उक्त आवेदन पर प्रकरण पंजीबद्ध कर आदेश दिनांक 128–2–2007 को उक्त आवेदन अस्वीकार किया । इस आदेश के विरूद्ध आवेदिका द्वारा प्रस्तुत प्रथम एवं द्वितीय अपील कमशः अनुविभागीय अधिकारी एवं अपर आयुक्त ने निरस्त की हैं । अपर आयुक्त के आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में पेश की गई है ।

3– आवेदकगण की ओर से विद्वान अधिवक्ता द्वारा मुख्य रूप से यह तर्क दिए गए हैं कि विचारण न्यायालय द्वारा आवेदक द्वारा प्रस्तुत आवेदन को प्रमाण के अभाव में मानकर निरस्त करने में वैधानिक भूल की है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण में जो स्थल निरीक्षण कराया गया उसमें आवेदक को नहीं बुलाया गया और ना ही कोई नोटिस जारी किया गया । निरीक्षण के समय फील्ड बुक नहीं बनाई गई । आवेदिका द्वारा प्रस्तुत आवेदन को इस आधार पर निरस्त नहीं किया जा सकता कि पूर्व में प्रकरण चल चुके हैं जब नवीन वाद आवेदन पेश किया गया तब नवीन आवेद के अभिसंचन के आधार पर जांच की जाना अनिवार्य है । उनके द्वारा अंत में अधीनस्थ न्यायालयों के आदेश निरस्त कर प्रकरण विचारण न्यायालय को पुनः जांच कर निराकरण करने हेतु प्रत्यावर्तित किए जाने का अनुरोध किया गया है ।

4– अनावेदकों की ओर से विद्वान अधिवक्ता द्वारा अधीनस्थ न्यायालयों के आदेशों को उचित बताते हुए निगरानी निरस्त किए जाने का अनुरोध किया गया है ।

5– उभयपक्षों के विद्वान अधिवक्ता के तर्कों के परिप्रेक्ष्य में अभिलेख का अवलोकन किया गया । यह प्रकरण संहिता की धारा 250 का है । अपर आयुक्त ने अपने आदेश में अभिलेख के आधार पर यह पाया है कि विचारण न्यायालय द्वारा उभयपक्ष को विधिवत साक्ष्य और सुनवाई का अवसर दिया गया है आवेदक की ओर से उनके अधिवक्ता निरंतर विचारण न्यायालय में उपस्थित हुए हैं । विचारण न्यायालय द्वारा स्वयं स्थल निरीक्षण किया गया है जिसकी सूचना आवेदक को दी गई किंतु आवेदिका अनुपस्थित रही उनकी ओर से उनका पुत्र उपस्थित रहा जिसके द्वारा पंचनामा पर हस्ताक्षर करने से मना किया गया । उक्त आधार पर अपर आयुक्त ने आवेदक के इस तर्क को कि उन्हें सुनवाई और साक्ष्य का अवसर नहं दिया अमान्य करते हुए अपील को निरस्त किया गया है । अपर आयुक्त का आदेश अभिलेख पर आधारित होकर आख्यापक और विवेचनापूर्ण होकर स्थिर रखे जाने योग्य है । प्रकरण में तीनों अधीनस्थ न्यायालयों के निर्णय तथ्यों के संबंध में समवर्ती हैं, जिनमें हस्तक्षेप का कोई आधार नहीं है ।

उपरोक्त विवेचना के आधार पर यह निगरानी निरस्त की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय का आदेश स्थिर रखा जाता है ।

(एम. के. सिंह)
सदस्य,
राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश,
ग्वालियर